<u>**न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर**</u>

CNR No.UPAN0.040215062026

<u>आदेश</u>

<u>**दिनांकः 11.08.2026**</u>

अभियुक्त **राम तिलक,** मु0अ0सं0–137/2017, अन्तर्गत धारा–279,337,338,427 भा0दं0सं0, थाना–को0 अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर के प्रकरण में आरोपित है। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रकरण के संबंध में आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल है। अतः मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः अभियुक्त द्वारा मु0–20,000/–(बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1. वह प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
2. वह किसी भी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा।
3. वह न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जायेगा।
4. वह साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(संदीप कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0 कोड–2119

Digitally signed by SANDEEP KUMAR
Date: 2026.08.11 16:51:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court